न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा

(बईजलास – नेहा छीपा आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 147 / 2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 कालू लाल पुत्र श्री लक्ष्मण अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

2 उदय लाल पुत्र श्री माना अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

3. तुलसीराम पुत्र श्री माना अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

4. रतन लाल पुत्र श्री माना अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

–––प्रार्थीगण

बनाम

1 अणछी पुत्री श्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नी श्री दिनेश अहीर आयु वयस्क निवासी चन्दनपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

2 उदी पुत्री श्री किशन अहीर पत्नी श्री मोहन अहीर आयु वयस्क निवासी – गुरजनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

3 कन्हैया लाल पुत्र कमली पिता श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी–गुरजनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

4 काली पुत्री श्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नी श्री रतन लाल अहीर आयु वयस्क निवासी मुरोली तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

5 चतरू लाल पुत्र कमली पिता श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी उकार अहीर गुरजनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

6 तुलसीराम पुत्र कमली पिता श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी–गुरजनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

7 नारायण पुत्र श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी – तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

8 भैरू पुत्र श्री श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

9 मीना पुत्री श्री मांगी लाल अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

10 मोहन पुत्र श्री किशन अहीर आयु वयस्क निवासी – तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

11 रामेश्वर पुत्र श्री किशन अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

12 रामी पुत्री श्री कमली पिता श्री किशन अहीर पत्नी श्री सीताराम अहीर आयु वयस्क निवासी– अहीरीया खेड़ा, देबीपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

13 रोशान पुत्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नी श्री शंकर लाल अहीर आयु वयस्क निवासी– सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

14 लक्ष्मण पुत्र श्री मांगी लाल अहीर आयु वयस्क निवासी – तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

15 शंकर लाल पुत्र श्रीकिशन अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

16 श्यामू देवी पत्नी श्री मांगी लाल अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

17 शांति पुत्री श्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नी श्री लेहरू लाल अहीर आयु वयस्क निवासी– सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

18 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

(राज.)

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::–

श्री कैलाश चन्द्र आचार्य–––––प्रार्थीगण अधिवक्ता
श्री पृथ्वीराज चौधरी––––––––अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17
पेरोकार सरकार––––––––––अप्रार्थी संख्या 18

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.02.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य स्थित संयुक्त शामलाती भूमि, जो कि ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 977 एवं 1625/977 के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिसका आपसी सहमति से दिनांक 12/04/2004 को अन्य आराजियों के साथ विधिपूर्ण बंटवारा किया गया था। इस बंटवारे के तहत प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 977, रकबा 1.8715 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 01 से 17 को आराजी नम्बर 1625/977, रकबा 2.0359 हैक्टेयर आवंटित किया गया था। बंटवारे के पश्चात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने–अपने आवंटित भूखंडों पर काबिज होकर विधिपूर्ण रूप से उनका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे थे। किन्तु दिनांक 25/11/2022 को जब प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण कराने लगे, तो विपक्षीगण द्वारा उक्त निर्माण कार्य में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न की गई एवं उक्त भूमि को अपनी बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सहमति अनुसार किए गए बंटवारे के अनुरूप भूमि की सही तरमीम नहीं की गई है। बंटवारे की सहमति के अनुसार जो भूमि प्रार्थीगण को आवंटित की गई थी, उसे राजस्व अभिलेखों में कम तरमीम कर दिया गया, जो कि विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि, बंटवारा सहमति के आधार पर जो ट्रेस नक्शा जारी किया गया था, उसके अनुसार सही एवं पूर्ण तरमीम किया जाना प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 18 एवं पटवार हल्का अधिकारी से संपर्क कर उक्त त्रुटि को दूर कर भूमि की सही एवं पूर्ण तरमीम करने हेतु निवेदन किया, किन्तु दिनांक 05/12/2022 को प्रार्थीगण को यह कहकर टाल दिया गया कि वे इस संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में, जब प्रार्थीगण को उनकी विधिक रूप से स्वीकृत भूमि की पूर्ण एवं सही तरमीम प्राप्त नहीं हो रही है, तो प्रार्थीगण के पास सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता। अतः अब राजस्व रिकॉर्ड में यथोचित संशोधन एवं प्रत्येक पक्षकार के नाम पर पृथक–पृथक स्वामित्व अंकित किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या विधिक जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः प्रार्थीगण की कृषि भूमि, स्थित सरहद ग्राम तख्तपुरा, पटवार हल्का तख्तपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.), जिसमें आराजी नंबर 977 कुल रकबा 1.8715 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 1625/977 कुल रकबा 2.0359 हैक्टेयर सम्मिलित है, के संबंध में आपसी बटवाड़े की सहमति के आधार पर संलग्न एवं दर्शित नक्शा–ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में आवश्यक तरमीम कर समुचित अभिलेखीय संशोधन किया जाए तथा प्रार्थीगण की कुल भूमि का अभिलेखीय

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

रकबा पूर्ण करते हुए आवश्यक आदेश पारित किए जाने की कृपा करें, जिससे प्रार्थीगण के वैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 12.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा नियत समयावधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण का अधिकार समाप्त कर दिया गया। फलतः, प्रार्थनापत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु तर्क (बहस) चरण पर सूचीबद्ध किया जाता है। बहस के चरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, तथापि, उनके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः, प्रार्थनापत्र को यथास्थिति में निर्णय हेतु विचारार्थ रखा गया।

विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ द्वारा प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ताईत करते हुए, मामलें में कोई उजर आपत्ति नही होना व्यक्त कर, प्रकरण में ईकबालिया जवाब मय प्रार्थी के समर्थन/पक्ष में रिपोर्ट हल्का पटवारी, प्रस्तावित राजस्व नक्शा, मौका पर्चा प्रस्तुत कराया गया, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

उपस्थित आये दक्ष अभिभाषकगण ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

हमने समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों, पक्षकारों के आपसी बटवाड़े की सहमति, संलग्न एवं प्रमाणित नक्शा–ट्रेस, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट समुचित प्रविष्टियों तथा संबंधित विधिक उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने वैध भूमि अधिकारों के संरक्षण हेतु अभिलेखीय तरमीम के हकदार हैं। आपसी बटवाड़े की सहमति से प्रार्थीगण के बीच कृषि भूमि के बंटवारे के लिए आपसी सहमति और समझौता किया गया था, जिसे न्यायालय ने वैध माना और उसी के आधार पर भूमि की तरमीम के लिए न्यायोचित मानता है। प्रमाणित नक्शा–ट्रेस प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणित नक्शा–ट्रेस को स्वीकार किया गया, जो भूमि के वर्तमान स्थिति और बटवारे के विवरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में आवश्यक तरमीम की कमी है, जो प्रार्थीगण के भूमि अधिकारों को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। विधिक अधिकारों का संरक्षण प्रार्थीगण के भूमि पर वैधानिक स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, और अदालत यह सुनिश्चित करना मानती है कि प्रार्थीगण के भूमि अधिकारों का पूर्ण और उचित तरीके से संरक्षण किया जाए।

न्यायालय प्रार्थी की दी हुई दलीलों/तर्को से सहमत है कि वादग्रस्त आराजी भूभाग के राजस्व अभिलेखों में भूमि किस्म संबंधि इंद्राज में निश्चित रूप चूक कारित हुई है। समर्थन में प्रस्तुत कराये गये आधार राजस्व रेकार्ड, मौका पर्चा के अध्ययन/विश्लेषण से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रार्थी के हक स्वामित्व की आराजी भूभाग की किस्म मौका स्थिति के मुकाबले त्रूटीपूर्ण अभिलेखित की हुई है।

अतः उपरोक्त विवेचनों एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अदालत प्रा.पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किए जाने योग्य मानता है।

–:: आदेश::–

अतः न्यायालय, समुचित विधिक प्रावधानों एवं सिद्धांतों के आलोक में, प्रार्थीगण की कृषि भूमि, स्थित सरहद ग्राम तख्तपुरा, पटवार हल्का तख्तपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित आराजी नंबर 977 रकबा 1.8715 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 1625/977 रकबा 2.0359 हैक्टेयर के संबंध में वांछित संशोधन किए जाने एवं आपसी सहमति से किए गए

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

बंटवारे के अनुरूप वर्तमान राजस्व अभिलेखों में रकबे में बिना परिवर्तन किये आवश्यक तरमीम किए जाने हेतु आदेश पारित करता है, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा